उदासीनता...

किताबें धूल फाँकती रहीं, व्यवस्था शिक्षित होने का दावा करती रही!

(शिक्षा के मंदिरों में बढ़ती औपचारिकता, पुस्तकालयों की उपेक्षा और पढ़ने की घटती संस्कृति पर एक चिंतन)



किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति का आकलन उसकी इमारतों, डिग्रियों और साक्षरता के आँकड़ों से नहीं, बल्कि उसकी पढ़ने, समझने और सोचने की क्षमता से होता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज हमारे अनेक विद्यालयों, कॉलेजों और संस्थानों में पुस्तकालय तो मौजूद हैं, लेकिन पुस्तकों के पन्ने खोलने वाले पाठक कम होते जा रहे हैं।

अलमारियों में किताबें सजी हैं, उन पर धूल जम रही है और संस्थाएँ स्वयं को शिक्षित समाज बनाने का दावा कर रही हैं। पुस्तकालयों के लिए बजट निर्धारित होता है, नई पुस्तकें खरीदी जाती हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था कमजोर है कि विद्यार्थी वास्तव में उन्हें पढ़ भी रहे हैं या नहीं।

आज शिक्षा का मूल्यांकन अच्छे परीक्षा परिणामों, अंकों, प्रमाणपत्रों और डिग्रियों से किया जाने लगा है। विद्यार्थी परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं। इंटरनेट और एआई से तुरंत उत्तर मिल जाते हैं, लेकिन गहराई से पढ़ने, विचार करने और स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने की आदत कमजोर पड़ रही है।

पुस्तकें केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं होतीं। वे कल्पनाशक्ति विकसित करती हैं, भाषा को समृद्ध बनाती हैं, तर्कशक्ति बढ़ाती हैं और व्यक्ति को संवेदनशील बनाती हैं। एक अच्छी पुस्तक विद्यार्थी को वह दृष्टि दे सकती है, जो केवल पाठ्यपुस्तकें और परीक्षा की तैयारी नहीं दे सकतीं।

विडंबना यह भी है कि कई संस्थानों में पुस्तकालयों को केवल निरीक्षण और रिकॉर्ड पूरा करने की औपचारिकता समझ लिया जाता है। पुस्तकालयाध्यक्ष, नियमित पठन गतिविधियाँ, पुस्तक चर्चा और रचनात्मक लेखन जैसी व्यवस्थाओं को पर्याप्त महत्व नहीं मिलता।

आवश्यकता है कि विद्यालयों में प्रतिदिन कुछ समय स्वतंत्र पठन के लिए निर्धारित किया जाए। विद्यार्थियों को अपनी रुचि की पुस्तकें चुनने, पढ़ने और उन पर चर्चा करने के अवसर मिलें। पुस्तक समीक्षा, कहानी लेखन, वाचन प्रतियोगिताएँ और लेखक परिचर्चाएँ आयोजित की जाएँ। शिक्षकों को भी विद्यार्थियों के सामने स्वयं पढ़ने का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

डिजिटल युग में ई-पुस्तकें और ऑनलाइन पुस्तकालय उपयोगी साधन हैं, लेकिन तकनीक पुस्तकों के प्रति रुचि का विकल्प नहीं बन सकती। असली उद्देश्य माध्यम बदलना नहीं, बल्कि पढ़ने की संस्कृति को जीवित रखना है।

समाज को यह समझना होगा कि पुस्तकालय किसी विद्यालय की सजावट नहीं, बल्कि उसकी बौद्धिक आत्मा होते हैं। जिस दिन पुस्तकें अलमारियों से निकलकर विद्यार्थियों के विचारों में जगह बनाने लगेंगी, उसी दिन शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होने लगेगा।

किताबों पर जमी धूल केवल उपेक्षा का संकेत नहीं, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था से एक गंभीर सवाल है। आखिर हम डिग्रियाँ बाँटने वाली व्यवस्था बना रहे हैं या सोचने-समझने वाला समाज?

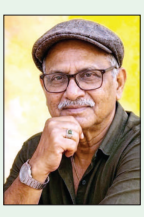

डॉ. विजय गर्ग
स्ट्रीट कौर चंद, एमएचआर
मलोट, पंजाब
मोबाइल: 9465682110

अब भारत में ही पूरा होगा विश्वस्तरीय शिक्षा का सपना

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में 25 नवंबर 2026 को शिक्षा मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई। इसमें देश में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों की उपस्थिति और भारतीय शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर चर्चा की गई। मंत्रालय के आधिकारिक विवरण के अनुसार, भारत में लगभग 21 विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए 17 आशय पत्र जारी किए हैं। इनमें ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इटली के संस्थान शामिल हैं।

इन आँकड़ों को समझते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कार्यरत संस्थानों और आशय पत्र प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या अलग-अलग श्रेणियों को दर्शाती है। आशय पत्र किसी प्रस्तावित परिसर के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति का संकेत है। इसे परिसर का संचालन आरंभ होने अथवा विद्यार्थियों का प्रवेश शुरू हो जाने का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2023 में इसके लिए नियामकीय व्यवस्था निर्धारित की। इसके अंतर्गत विदेशी संस्थानों के प्रस्तावों की समीक्षा की जाती है। आयोग की स्थायी समिति आवेदन पर विचार करती है और उसकी अनुशंसा के आधार पर आशय पत्र जारी किया जाता है। परिसर की तैयारी पूरी होने के बाद शैक्षणिक संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य विदेशी संस्थानों को भारत में अवसर उपलब्ध कराने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता और नियामकीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने मूल परिसर के अनुरूप शैक्षणिक स्तर बनाए रखना होगा। उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली योग्यताओं को संबंधित भारतीय उच्च शिक्षण योग्यताओं के समकक्ष मान्यता देने का प्रावधान भी है। इससे विद्यार्थियों को उपाधियों की मान्यता संबंधी अनिश्चितताओं से राहत मिल सकती है।

विदेशी विश्वविद्यालयों की भारतीय परिसरों में उपस्थिति अब केवल प्रस्ताव तक सीमित नहीं है। गुजरात की गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय, वोलोंगोंग विश्वविद्यालय और ब्रिटेन के क्वीन्स विश्वविद्यालय बेलफास्ट ने शैक्षणिक गतिविधियाँ आरंभ की हैं। ब्रिटेन के साउथैम्पटन विश्वविद्यालय ने भी भारत में अपना परिसर स्थापित

भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। लंबे समय तक विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अपना देश छोड़कर विदेश जाना पड़ता था। अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। अनेक विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर स्थापित कर रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को देश में रहकर अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के नए अवसर मिल सकते हैं। यह परिवर्तन केवल शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का संकेत नहीं है, बल्कि भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने की व्यापक संभावनाओं से भी जुड़ा है।



किया है। जून 2026 में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय को परिसर स्थापित करने के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इससे पहले साउथैम्पटन और लिवरपूल विश्वविद्यालयों को भी ऐसे पत्र मिल चुके थे।

इन संस्थानों के विस्तार से विद्यार्थियों के सामने शिक्षा के अनेक नए विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। व्यवसाय, अर्थशास्त्र, वित्त, संगणक विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आँकड़ा विज्ञान, साइबर सुरक्षा और जैवचिकित्सा जैसे क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम आरंभ होने की संभावना है। आधुनिक तकनीक और शोध से जुड़े विषयों में अंतरराष्ट्रीय अनुभव विद्यार्थियों को बदलते रोजगार बाजार के अनुरूप तैयार करने में सहायक हो सकता है। हालांकि प्रत्येक संस्थान के पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क और शैक्षणिक सत्र की जानकारी अलग-अलग होगी।

विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत आने का एक प्रमुख लाभ यह हो सकता है कि विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से विदेश नहीं जाना पड़ेगा। विदेश में अध्ययन के दौरान यात्रा, आवास और जीवनयापन पर होने वाले खर्च की तुलना में भारत में अध्ययन करना कुछ परिवारों के लिए सुविधाजनक हो सकता है। विद्यार्थियों को अपने परिवार और सामाजिक परिवेश के निकट रहते हुए नई शैक्षणिक पद्धतियों से परिचित होने का अवसर भी मिलेगा।

फिर भी यह मान लेना उचित नहीं होगा कि विदेशी विश्वविद्यालयों की भारतीय परिसरों में शिक्षा अनिवार्य रूप से सस्ती होगी। वास्तविक आर्थिक लाभ संस्थान के शुल्क, छात्रवृत्ति, आवास व्यवस्था और पाठ्यक्रम की अवधि पर निर्भर करेगा। यदि शुल्क अत्यधिक हुआ तो ग्रामीण क्षेत्रों, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और सामान्य आय वाले वर्गों के विद्यार्थियों की पहुँच सीमित रह सकती है। इसलिए शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की सफलता का मूल्यांकन केवल विश्वविद्यालयों की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से भी होना चाहिए कि समाज के विभिन्न वर्गों को कितने अवसर प्राप्त हुए।

विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन से भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों के सामने भी नई परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी। उन्हें शिक्षण की गुणवत्ता, शोध सुविधाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन पर अधिक ध्यान देना होगा। शिक्षकों के प्रशिक्षण, आधुनिक पाठ्यक्रमों के विकास और उद्योगों के साथ सहयोग को प्रोत्साहन मिल सकता है। लेकिन प्रतिस्पर्धा का लाभ तभी व्यापक होगा जब सरकारी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ।

भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में अनेक उत्कृष्ट संस्थान पहले से मौजूद हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय और विभिन्न शोध संस्थान देश की शैक्षणिक क्षमता के महत्त्वपूर्ण आधार हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करते समय भारतीय संस्थानों की उपलब्धियों और स्वायत्तता को समान महत्त्व दिया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग का उद्देश्य केवल विदेशी ज्ञान को अपनाना नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान, भाषाओं, संस्कृति और अनुसंधान को विश्व के सामने प्रस्तुत करना भी होना चाहिए।



शिक्षा मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए चार प्रमुख दिशाओं पर बल दिया है। इनमें विदेशी संस्थानों के साथ शैक्षणिक और शोध सहयोग, विदेशी विद्यार्थियों को भारत में अध्ययन के लिए आकर्षित करना, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने की सुविधा देना और भारतीय संस्थानों को विदेशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। यह दृष्टिकोण शिक्षा को एकतरफा आदान प्रदान के स्थान पर पारस्परिक सहयोग का माध्यम बनाता है।

इस दिशा में भारतीय संस्थानों की विदेशी उपस्थिति भी उल्लेखनीय है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने जांजीबार में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अबू धाबी में और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने दुबई में अपने परिसर स्थापित किए हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि भारत केवल विदेशी विश्वविद्यालयों को आकर्षित करने वाला देश नहीं है, बल्कि स्वयं भी अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करने की क्षमता विकसित कर रहा है।

विदेशी परिसरों के विस्तार के साथ कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। विद्यार्थियों को प्रवेश से पहले यह स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि संबंधित संस्थान को किस प्रकार की अनुमति प्राप्त है, उसके पाठ्यक्रम की मान्यता क्या है और कुल शुल्क कितना होगा। शिक्षकों की योग्यता, प्रयोगशालाओं की उपलब्धता, छात्रावास की सुविधा और उपाधि प्रदान करने की व्यवस्था भी सार्वजनिक होनी चाहिए।

विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई संस्थान बीच में अपना संचालन बंद कर दे तो अध्ययनरत विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित न हो। शुल्क वापसी, शिकायत निवारण और पाठ्यक्रम परिवर्तन की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। नियामक संस्थाओं को समय समय पर शैक्षणिक गुणवत्ता की समीक्षा करनी चाहिए, जिससे प्रतिष्ठित नामों के आधार पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को निराशा का सामना न करना पड़े।

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों का विस्तार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाओं का द्वार खोल सकता है। इससे विद्यार्थियों को विविध पाठ्यक्रम, शोध के नए अवसर और अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। भारतीय संस्थानों को भी अपनी क्षमताओं का विस्तार करने और वैश्विक सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

इस परिवर्तन की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि शिक्षा कितनी गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और समावेशी बनती है। भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने की आकांक्षा तभी सार्थक होगी जब अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा कुछ संपन्न परिवारों तक सीमित न रहकर व्यापक विद्यार्थी समुदाय के लिए उपलब्ध हो। शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़कर समान अवसर, ज्ञान के आदान प्रदान और राष्ट्रीय विकास का माध्यम बने, यही समय की आवश्यकता है।

महेन्द्र तिवारी

पुण्यतिथि विशेष - 28 नवंबर शिक्षा से सामाजिक क्रांति की अलख जगाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले



भारतीय समाज में जब जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता, अशिक्षा और रूढ़िवादी परंपराओं का गहरा प्रभाव था, तब एक ऐसे महान समाज सुधारक ने जन्म लिया, जिसने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम बनाया। उन्होंने समाज के वंचित, शोषित और उपेक्षित वर्गों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का मार्ग दिखाया तथा महिला शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल की। वह महान व्यक्तित्व थे महात्मा ज्योतिबा फुले। उनका संपूर्ण जीवन मानवता, समानता, सामाजिक न्याय और शिक्षा के प्रति समर्पित रहा।

महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। उनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। बचपन से ही उन्होंने सामाजिक विषमताओं और भेदभाव को निकट से देखा। इन परिस्थितियों ने उनके मन में सामाजिक परिवर्तन की भावना को जन्म दिया। उन्होंने संकल्प लिया कि शिक्षा और जनजागृति के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे।

महिला शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल

महात्मा ज्योतिबा फुले का मानना था कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति महिलाओं की शिक्षा और सशक्तीकरण के बिना संभव नहीं है। जिस दौर में बालिकाओं की शिक्षा को लेकर अनेक सामाजिक प्रतिबंध थे, उस समय उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया और उन्हें शिक्षण कार्य के लिए प्रेरित किया।

वर्ष 1848 में दोनों ने पुणे के भिड़े वाड़ा में बालिकाओं के लिए एक विद्यालय प्रारंभ किया। इस कार्य के लिए उन्हें सामाजिक विरोध और अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य से समझौता नहीं किया। सावित्रीबाई फुले ने भी अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ महिला शिक्षा की मशाल को आगे बढ़ाया।

आज देश की बेटियाँ शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, प्रशासन, राजनीति, खेल और अंतरिक्ष अनुसंधान सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। महिला शिक्षा के इस लंबे सफर में फुले दंपती का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

सामाजिक समानता के लिए आजीवन संघर्ष

महात्मा फुले ने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, छुआछूत, ऊँच-नीच और सामाजिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य को जन्म से समान अधिकार और सम्मान प्राप्त होना चाहिए। किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति अथवा सामाजिक स्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि उसके गुणों, कर्मों और मानवीय मूल्यों के आधार पर होनी चाहिए।

उन्होंने विधवाओं की दयनीय स्थिति, बाल विवाह और महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध भी संघर्ष किया। समाज के कमजोर वर्गों को सम्मान और न्याय दिलाने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया।

सत्यशोधक समाज की स्थापना

सामाजिक न्याय और समानता के अपने विचारों को व्यापक स्वरूप प्रदान करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका प्रमुख उद्देश्य समाज में व्याप्त भेदभाव, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और शोषण को समाप्त करने के लिए जनजागृति उत्पन्न करना था।

उन्होंने लोगों को तर्कशील बनने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रसिद्ध कृति 'गुलामगिरी' सामाजिक असमानता और शोषण के विरुद्ध उनके वैचारिक संघर्ष का महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

किसानों और श्रमिकों के हितों के प्रबल समर्थक

महात्मा फुले ने किसानों और श्रमिकों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने किसानों की आर्थिक दुर्दशा, उनके शोषण और कठिन जीवन परिस्थितियों की ओर समाज का ध्यान आकर्षित किया। उनकी रचना 'शेतकऱ्याचा असूड' किसानों की समस्याओं और उनके शोषण पर केंद्रित थी।

उनका मानना था कि समाज की वास्तविक समृद्धि तभी संभव है, जब मेहनतकश वर्ग को उसके श्रम का उचित सम्मान और प्रतिफल मिले। किसानों, श्रमिकों और वंचित वर्गों के प्रति उनकी संवेदनशीलता उनके व्यापक मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती है।

वर्तमान समय में फुले के विचारों की प्रासंगिकता

आज भारत शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। इसके बावजूद समाज के कुछ हिस्सों में जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, अशिक्षा, बाल विवाह और सामाजिक कुरीतियाँ पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। ऐसे में महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं।

विशेष रूप से राजस्थान सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह की रोकथाम, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा समाज के कमजोर वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना अथवा रोजगार हासिल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति में विवेक, संवेदनशीलता, समानता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना भी होना चाहिए।

यही होगी महात्मा फुले को सच्ची श्रद्धांजलि



महात्मा ज्योतिबा फुले का निधन 28 नवंबर 1890 को पुणे में हुआ। उन्होंने अपने विचारों और संघर्षों से भारतीय समाज में परिवर्तन की ऐसी नींव रखी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी हुई है।

उनकी पुण्यतिथि पर केवल उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करना ही पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने की है। प्रत्येक बालिका को शिक्षा का अवसर मिले, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो और समाज में किसी के साथ जाति, लिंग अथवा आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न हो, इसके लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे।

जिस दिन शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचेगी, सामाजिक भेदभाव समाप्त होगा और मानवता सर्वोपरि होगी, उसी दिन महात्मा ज्योतिबा फुले के सपनों का समाज साकार होगा। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

डॉ. लीलाधर दोचानिया
डिप्टी डायरेक्टर (सेवानिवृत्त),
राजस्थान सरकार
मोबाइल नंबर -9413193778

भुवनेश गर्ग का राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता अंग्रेजी में चयन

बाड़मेर जिले के शिव तहसील अंतर्गत ग्राम भियाड़ निवासी भुवनेश गर्ग सुपुत्र श्री रूघाराम गर्ग का राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता अंग्रेजी विषय में चयन हुआ है जो क्षेत्र के लिए हर्ष का विषय है।



सामाजिक कार्यकर्ता गजसा गर्ग शिव की चॉल से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री भुवनेश गर्ग पुत्र श्री रूगाराम जी गर्ग निवासी भियाड़, हाल महावीर नगर, बाड़मेर को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में अंग्रेजी विषय में व्याख्याता पद पर चयन हुआ है जो क्षेत्र सहित सभी के लिए हर्ष का विषय है। भुवनेश गर्ग के व्याख्याता अंग्रेजी में चयन उपरान्त सभी शुभचिंतको, मित्रगणों ने अपनी ओर से बधाई देते हुए बता रहे हैं कि आपकी मेहनत, लगन और संघर्ष रंग लाया, यह चयन पूरे परिवार, समाज और क्षेत्र के लिए गर्व की बात है।